# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

## पीठासीन अधिकारीः— श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः— 32/2025

| प्रार्थीगण | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. कमला पुत्री खेमाराम<br>2. मंजू पुत्री खेमाराम जातिगण सिरवी निवासीगण चण्डावल नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0। | | 1. मांगीलाल पुत्र खेमाराम<br>2. सोहनलाल पुत्र खेमाराम<br>3. पानीदेवी पत्नी खेमाराम<br>4. मृतक प्रकाश उर्फ पपिया पुत्र खेमाराम के का0मु0—<br>4/1 ललिता पत्नी प्रकाश उर्फ पपीया<br>4/2 गायत्री पुत्री प्रकाश उर्फ पपीया<br>4/3 अर्पिता पुत्री प्रकाश उर्फ पपीया<br>4/4 मोहित पुत्र प्रकाश उर्फ पपीया (अप्रार्थी सं0 4/2 से 4/4 नाबालिग जरिये कुदरती वलियां माता ललिता पत्नी प्रकाश उर्फ पपीया) जातिगण सिरवी निवासीगण चण्डावल नगर तह0 सोजत जिला पाली राज0।<br>5. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली<br>6. राज0।<br>उप पंजीयन अधिकारी बगड़ी नगर/सोजत |

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955**

उपस्थितिः—

01. श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक :— 03/12/2025

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा ग्राम चण्डावल नगर में नया खसरा नंबर 662 रकबा 1.9900 हैक्टर, खसरा नंबर 663 रकबा 2.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 667 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नंबर 669 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नंबर 670 रकबा 8.0400 हैक्टर, खसरा नंबर 850 रकबा 9.6000 हैक्टर, खसरा नंबर 872 रकबा 5.3200 हैक्टर, खसरा नंबर 873 रकबा 3.2200 हैक्टर, खसरा नंबर 874 रकबा 2. 4400 हैक्टर, खसरा नंबर 875 रकबा 5.2900 हैक्टर, खसरा नंबर 877 रकबा 0. 8500 हैक्टर, खसरा नंबर 664 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नंबर 665 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नवंर 666 रकबा 0.4600 हैक्टर, खसरा नंबर 668 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल खसरा 15 कुल रकबा 42.1600 हैक्टर में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज खेमा पुत्र कुनाराम का 1/8 हिस्सा हक हकूक खातेदारी का आता था। इसी प्रकार ग्राम चण्डावल में ही खसरा नंबर 1113 रकबा 0.5100 हैक्टर एवं खसरा नंबर 911 रकबा 0.4100 हैक्टर की सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज खेमाराम पुत्र कुनाराम की आई हुई स्थित है। उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि को आगे प्रार्थना पत्र में सुविधा की दृष्टि से वादस्थ कृषि भूमि के नाम से संबोधित किया जायेगा। उक्त कृषि भूमि पर खेमाराम पुत्र कुनाराम ने अपने जीवनकाल में काश्त किया था तथा उस पर काबिज थे, खेमाराम की वृद्धावस्था व मरणोपरान्त प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संयुक्त रूप से उक्त कृषि भूमि पर जरिये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के काबिज थे तथा दिनांक 06/04/1996 को खेमाराम पुत्र कुनाराम की मृत्यु हो जाने के कारण उनके सभी वारिस प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण में संयुक्त रूप से हक व खातेदारी निहित हो गये है। उसके उपरान्त भी अप्रार्थीगण ने पटवारी हल्का से सांठ

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

गांठ कर अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने बदनियति पूर्वक व प्रार्थीगण को आर्थिक हानि पहुंचाने के उद्देश्य से कुटरचना कर अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का नाम जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 948, दिनांक 10/01/1997 के प्रस्ताव के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत चण्डावल नगर द्वारा स्वीकृत किया गया। उक्त म्यूटेशन का इन्द्राज जमाबंदी में कर दिया गया तथा आगे से आगे अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया। इसी प्रकार पपीया उर्फ प्रकाश के देहान्त के पश्चात विरासत का म्यूटेशन संख्या 3761 दिनांक 05/7/2024 को भरा गया। उक्त दोनों ही म्यूटेशन गलत है। अब अप्रार्थीगण की नियतबद्ध हो चुकी है। अप्रार्थीगण उक्त कृषि भूमि को नाजायज रूप से बेचान, हस्तानान्तरण करने पर उतारू है। दिनांक 14/12/2024 को प्रार्थीगण द्वारा जमाबंदी की नकले लेने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि अप्रार्थीगण ने कुटरचना कर अपने नाम से म्यूटेशन भरवा दिया है। म्यूटेशन फिसकल नैचर का होने से म्यूटेशन से किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रार्थीगण में आज भी अपने पिता से प्राप्त अधिकार निहित है। प्रार्थीगण के पिता का देहान्त निर्वसीयती रूप से हुआ है तथा उक्त कृषि भूमि स्वर्गीय खेमाराम पुत्र कुनाराम की होने से उनकी मृत्यु उपरान्त खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण को प्राप्त हुए है। दिनांक 14/12/2024 को नकले प्राप्त होने के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को औलम्बा देने हेतु बातचित हुई, तब अप्रार्थी संख्या 1 से 4 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि में हमारा नाम दर्ज हो गया है, हम इस भूमि के मालिक हो गए है। इसलिए तुम्हारा खातेदारी में नाम दर्ज नहीं होने के कारण तुम्हारा कोई हक हिस्सा नहीं बनता है। हम उक्त कृषि भूमि को अन्यत्र बेचान हस्तानान्तरण कर देंगे तथा तुम्हें कब्जे से बेदखल कर देंगे। अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि को हस्तानान्तरण एवं प्रार्थीगण को उनके हिस्से से बेदखल करने तथा कब्जा काश्त में दखल अन्दाजी करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को बगैर किसी अधिकार के बेदखल करने एवं वादस्थ भूमि बेचान हस्तानान्तरण करने में आतुर है, अप्रार्थीगण के इस कृत्य से न केवल प्रार्थीगण अपनी पैतृक कृषि भूमि में हक हिस्से से महरूम हो जायेंगे। बल्कि कब्जा काश्त से हमेशा हमेशा के लिए वंचित हो जायेंगे। प्रार्थीगण का उपरोक्त कृषि भूमि का एकमात्र जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। यदि अप्रार्थीगण अपने उद्देश्यों में सफल होते है तो प्रार्थीगण को आर्थिक नुकसान होगा, मुकदमेबाजी बढेगी, प्रार्थी के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा। इसलिए प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण वादस्थ कृषि भूमि में अपने हक अधिकारों की घोषणा कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की कृषि भूमि में अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी हक अधिकार के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में दखल अन्दाजी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से रूकवाने के अधिकारी है। अतः यह प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध अप्रार्थीगण के पेश है। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। क्योकि वादस्थ कृषि भूमि प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी की कृषि भूमि थी, जिनके देहान्त के बाद अप्रार्थीगण ने बाले बाले प्रार्थीगण को बेदखल करने की नियत से अपने नाम से म्यूटेशन इन्द्राज करवा दिया। तथा अब प्रार्थीगण को बेदखल करने की नियत से आगे से आगे बेचान हस्तानान्तरण करने पर है, और यदि अप्रार्थीगण अपने विधि विरूद्ध कृत्य में सफल हो जायेंगे तो प्रार्थीगण को अपूर्णिय क्षति होगी, जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नहीं आंका सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा चण्डावलनगर के नया खसरा नंबर 662 रकबा 1.9900 हैक्टर, खसरा नंबर 663 रकबा 2.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 667 रकबा 0.9900 हैक्टर, खसरा नंबर 669 रकबा 0.9700 हैक्टर, खसरा नंबर 670 रकबा 8.0400 हैक्टर, खसरा नंबर 850 रकबा 9.6000 हैक्टर, खसरा नंबर 872 रकबा 5.3200 हैक्टर, खसरा नंबर 873 रकबा 3.2200 हैक्टर, खसरा नबर 874 रकबा 2.4400 हैक्टर, खसरा नंबर 875 रकबा 5.2900 हैक्टर, खसरा नबर 877 रकबा 0.8500 हैक्टर, खसरा नंबर 664 रकबा 0.0900 हैक्टर, खसरा नंबर 665 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा नंबर 666 रकबा 0.4600 हैक्टर,

उप खण्ड अधिकारी

खसरा नंबर 668 रकबा 0.0400 हैक्टर कुल खसरा 15 कुल रकबा 42.1600 हैक्टर में प्रार्थीगण का 1/48–1/48 हक हिस्सा एवं चण्डावल में ही खसरा नंबर 1113 रकबा 0.5100 हैक्टर एवं खसरा नंबर 911 रकबा 0.4100 हैक्टर में 1/6–1/6 हक हिस्से के कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखल अन्दाजी न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी नौकर एजेन्ट आदि से करावे, और न ही वादस्थ कृषि भूमि को दौराने वाद किसी प्रकार से हस्तानान्तरण न तो स्वयं करे और न ही अन्य नौकर एजेन्ट आम मुख्तियार इत्यादि से करावे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 5 को पाबंद फरमाया जावे कि यह दौराने वाद राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे। साथ ही अप्रार्थी संख्या 6 को पाबंद फरमाया जावे कि दौराने वाद अप्रार्थीगण या उनके किसी भी आम व खास मुख्तियार द्वारा वादस्थ कृषि भूमि का कोई दस्तावेजात हस्तानान्तरण हेतु प्रस्तुत करे तो उसे पंजीयन नहीं किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना/तामिली अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील प्रार्थी सुनी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादग्रस्थ कृषि भूमि सरहद मौजा चण्डावल नगर तह0 सोजत के खसरा संख्या 662 से 670, 850, 872 से 875, 877 कुल खसरा 15 कुल रकबा 42.1600 हेक्टर की कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 के पूर्वज खेमा पुत्र कुनाराम का 1/8 हक हिस्सा की आयी हुई स्थित है, इसी प्रकार ख0नं0 1113, 911 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9200 है0 की कृषि भूमि खेमा पुत्र कुनाराम की खातेदरी की आयी हुई स्थित हैं। दिनांक 06.04.1996 को खेमाराम पुत्र कुनाराम की मृत्यु उपरांत फौतेदगी नामा0 सं0 948, 949 दिनांक 10.01.97 के दर्ज करते वक्त अप्रार्थीगण सं0 1 से 4 ने बदनियती पूर्वक अपना नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दिया, जबकि प्रार्थीगण का भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हक–हिस्सा निहित था, उक्त अवैध राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज के आधार पर अप्रार्थीगण अपने हक–अधिकारों से अधिक भूमि का बेचान, रहन व अन्य हस्तान्तरण करने पर उतारू हैं। यदि ऐसा करने में सफल होते है, तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में क्योंकि प्रार्थीगण का भी अपने पिता खेमाराम की सम्पति में अपने भाईयों की तरह की हक हिस्सा निहित हो चुका था। लेकिन राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने से अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं, इसलिए सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक वादस्थ कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा बेचान, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन कर बहस वकील पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः पक्षकारो के हक अधिकारों को मूल वाद में तनकियात कायम की जाकर बाद साक्ष्य गुणावगुण पर तय किया जायेगा। तब तक यदि वादग्रस्थ कृषि भूमि का अन्यत्र बेचान, अन्तरण व अन्य हस्तान्तरण हो जाता हैं। तो निश्चित प्रार्थीगण को अपने अपूर्णीय क्षति होगी। जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता हैं। जिससे मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्थ कृषि भूमि को संरक्षित रखा जाना आवश्यक हैं। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निस्तारण तक वादस्थ भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखा तथा बेचान व अन्य हस्तान्तण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

**–: आदेश :–**

अतः अधिवक्ता प्रार्थी मय प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा चण्डावल नगर तह0 सोजत के ख0नं0 662 से 670, 850, 872 से 875, 877 कुल खसरा 15 कुल

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

रकबा 42.1600 है0 में प्रार्थीगण का 1/48–1/48 हक हिस्सा, इसी प्रकार ख0नं0 1113, 911 कुल खसरा 02 कुल रकबा 0.9200 है0 में प्रार्थीगण के 1/6–1/6 हक हिस्से की कृषि के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा बेचान, रहन एवं अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के पाबंद किया जाता हैं। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)